

न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सांभर-लेक (जयपुर)

राजस्थान लोक अदालत केम्प

उपक्रम नम्बर 35/18

वादी 35/18

राजस्थान लोक अदालत अभियान
साथ आगक द्वार 2018

शिवनारायण पुर भाद्रशम जाति भदौर नि. भदौर की
दासी, पहाड़पुरा, भंसवाना

बनाम तहसीलदार किशनगढ रेनवाल (प्रतिवादी)

दावा दुरस्ती इन्द्राज अन्तगत धारा 88,89

निर्णय

उपरोक्त उनवानी वादी की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी का वाद निम्न प्रकार है :-

ग्राम पहाड़पुरा पटवार हल्का भंसवाना तहसील कि० रेनवाल
के आराजी खसरा नम्बर 283, 284, 285, 286, 287, 1148/2
1198/1148, 1195/1148

में वादी का नाम व विवरण शिवनारायण पुर भाद्र जाति
भदौर

के स्थान पर

शिवनारायण पुर भाद्रशम जाति भदौर

पर दुरस्त किया जावें।


उपरोक्त वाद के संबंध में वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दस्तावेजों के अवलोकन करने तथा रिपोर्ट पटवारी/भू.अ.नि./तहसीलदार की अभिशंसा के आधार पर एवं केम्प कोर्ट में गजमेंआम में जांच की जाने पर उक्त दुरस्ती से किसी सहखातेदार का हित प्रभावित नहीं होने से वादी का वाद डिकी किया जाना उचित है

अतः वादा को बाद जिकी किमा जोकर निम्न प्रकार आदेश दिया जाता है

वर्तमान प्रतिदि

आदेशित शुभ प्रतिदि

इग्गेनारायण पुत्र (नाम) नारायण पुत्र (नाम) शरीर जोम (संख्या) शरीर जोम (संख्या)
जयपुर जयपुर



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

उपरोक्त डिकी अनुसार तहसीलदार
को राजस्व रिकार्ड में अमल दरावद हेतू लिखा जावें।

[Handwritten signature]
09/5/18
NAD Cap

सहायक कलेक्टर/उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
सांभर-लेक (जयपुर)